

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या 46/2022 सरकार बनाम जगदीश
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 46/2022
GCMS Case No. 2022/166

सायल :-
सरकार जरिये जिला पुलिस
अधीक्षक पाली

बनाम

गैरसायल:-

श्री जगदीश पुत्र श्री रामचन्द्र बैरवा निवासी
करणसिंह की चाली पाली पुलिस थाना
औद्योगिक क्षेत्र पाली जिला पाली

“इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975”

उपस्थित :

1. सायल की ओर से लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली।
2. गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री सद्दाम काजी।

:: निर्णय ::


दिनांक :- 29.8.2024

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 25.07.2022 को गैरसायल जगदीश पुत्र रामचन्द्र बैरवा निवासी करणसिंह की चाली पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली जिला पाली के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ वर्ष 2020 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिन में से दोनो प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर जुर्माना से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	धारा	निर्णय/चार्जशीट दिनांक
1	03/02.01.2020	13 आर.पी.जी.ओ	28.10.2020 को 50/- रुपये जुर्माना
2	251/13.12.2020	13 आर.पी.जी.ओ	30.01.2021 को 50/- रुपये जुर्माना

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल श्री जगदीश पुत्र श्री रामचन्द्र बैरवा निवासी करणसिंह की चाली पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली जुआ के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृत्ति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या 46/2022 सरकार बनाम जगदीश
सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त

परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

प्रकरण में ए.पी.पी. ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली का बदमाश व्यक्ति है, जिससे विरुद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरुद्ध सूचना देने में भी कतराते हैं, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

अधिवक्ता गैरसायल ने वक्त बहस कथन किया कि गैरसायल वर्तमान में किसी भी प्रकार के जुआं मे लिप्त नहीं है तथा मजुदरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है एवं अब वह शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। अतः गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा खारिज फरमावे।

उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरुद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02 पाली द्वारा दिनांक 28.10.2020 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 50/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार दिनांक 30.01.2021 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 50/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल जगदीश पुत्र रामचन्द्र बैरवा निवासी करणसिंह की चाली पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत तीन माह की अवधि के लिए पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना सोजत सिटी, जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात् दिनांक 13.09.2024 से 90 दिन के लिये पुलिस थाना सोजत सिटी, जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात् 90 दिन में 12 बार




Lu
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली


अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी सोजत सिटी, जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल जगदीश पुत्र रामचन्द्र इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रुपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली, गैरसायल जगदीश को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना सोजत सिटी जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी सोजत सिटी उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी औद्योगिक क्षेत्र पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली एवं थानाधिकारी सोजत सिटी जिला पाली को भिजवाई जावे।



निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पाली

को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद


(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली